

2021/681

“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”

खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र

(भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत)

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

साँगोद

विषय- राजस्व रिकार्ड दुरुस्ती के सम्बन्ध में

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम कडालवा की वर्तमान

जमाबंदी संवत् 2075-78 की खाता संख्या 34 में

मेरा अशुद्ध नाम/जाति दीतार पुत्र लक्ष्मण लक्ष्मण दर्ज है।

जबकि मेरा शुद्ध नाम/जाति दीतार लाल पुत्र लक्ष्मण हैं।

अतः उक्तानुसार दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक :

प्रार्थी

दीतार लाल

रिपोर्ट पटवारी एवं जाँच भू. अभि. निरीक्षक

मुताबिक आवेदन पत्र प्रार्थी के अशुद्ध नाम/जाति दीतार पुत्र लक्ष्मण के

स्थान पर शुद्ध नाम/जाति दीतार लाल पुत्र लक्ष्मण दर्ज किया जाना उचित है

अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।


भू. अभि. निरीक्षक वृत्त कुचलपुर

पटवारी हल्का दिगा

“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”


रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का कनकपुर तथा जांच भू. अभि. निरीक्षक कनकपुर
के अनुसार प्रार्थी का शुद्ध नाम/जाति दीनरलाल छग लकरवा राजस्व
रिकार्ड में दर्ज करने की अभिशंखा की जाती है।


तहसीलदार साँगोद

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी कनकपुर तथा जांच भू. अभि. निरीक्षक कनकपुर
तहसीलदार साँगोद की अभिशंखा के आधार पर प्रार्थी का शुद्ध नाम/जाति दीनरलाल छग लकरवा
..... दर्ज रिकार्ड की जाए।


उपखण्ड अधिकारी साँगोद

"प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021"

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर
(शिविर स्थान)

आदेश

दिनांक

प्राधी के "खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पटवारी

क. भू. अ. नि

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार

नायब तहसीलदार

की अनुसंधान के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम

तहसील

जिला

की जमाबन्दी संख्या

में खाता संख्या

में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
	काठाना	34	चीवर 58/लकवा	चीतरणल 58 लकवा

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर
.....
दिनांक

दिनांक :- 16-11-2021

क्रमांक :- 2970

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद
शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

2. प्राधी श्री को सूचनार्थ।

3. रक्षित पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर
.....
दिनांक